

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री भेरूसिंह सोडा पुत्र श्री विजय सिंह सोडा, ग्राम-केलवा, तह0 व जिला राजसमन्द
- अपीलार्थी

बनाम
लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, गढबोर - प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा- अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 48/2020

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 21.09.2020</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, गढबोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्त हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, गढबोर को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लो0सू0 अधिकारी तहसीलदार, गढबोर द्वारा जरिये पत्रांक :- सूका अधि0/2020/492-93 दिनांक 15.09.2020 से रिपोर्ट प्रेषित होकर प्राप्त हुई हैं। लो0सू0 अधिकारी, तहसीलदार, गढबोर की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री भेरूसिंह सोडा पिता श्री विजयसिंह सोडा एच/ओ.के.एल. के गाँव केलवा तहसील व जिला राजसमन्द के द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, अति0जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक प.1()सू0अ0,05/2020/524-25 दिनांक 17.07.2020 की पालना में प्रार्थी श्री भेरूसिंह सोडा को उनके द्वारा आवेदित रिकार्ड के निरीक्षण हेतु रिकार्ड पटवार मण्डल उमरवास से संबंधित होने से पटवारी हल्का उमरवास को इस कार्यालय के पत्रांक भू. अ./सू.अधि0, 05/2020/379-81 दिनांक 11.08.2020 से निर्देशित कर प्रार्थी श्री भेरूसिंह सोडा को जरिये रजिस्टर्ड डाक के दिनांक 20.08.20 को पटवार मण्डल उमरवास में उपस्थित द्वारा वांछित रिकार्ड के निरीक्षण हेतु प्रति भिजवाई गई। इसी के साथ लोक सूचना अधिकारी, अति0जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक प.1()सू0अ0,05/2020/526-27 दिनांक 17.07.2020की पालना में प्रार्थी श्री भेरूसिंह सोडा को उनके द्वारा आवेदित रिकार्ड के निरीक्षण हेतु रिकार्ड पटवार मण्डल उमरवास से संबंधित होने से पटवारी हल्का उमरवास को इस कार्यालय के पत्रांक भू. अ./सू.अधि0, 05/2020/379-81 दिनांक 11.08.2020 से निर्देशित कर प्रार्थी श्री भेरूसिंह सोडा को जरिये रजिस्टर्ड डाक के दिनांक 20.08.20 को पटवार मण्डल उमरवास में उपस्थित द्वारा वांछित रिकार्ड के निरीक्षण हेतु प्रति भिजवाई गई। पटवारी हल्का उमरवास द्वारा दिनांक 15.09.20</p>	



M


को सूचना दी गई जिसके अनुसार प्रार्थी श्री भैरूसिंह दिनांक 20.08.20 को पटवार मण्डल उमरवास में उपस्थित नहीं हुए तथा दिनांक 10.09.20 तक भी पटवार मण्डल उमरवास में उपस्थित नहीं हुए। पटवारी हल्का द्वारा भी दिनांक 11.09.2020 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी को सूचित किया गया कि वे कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर वांछित रिकार्ड का निरीक्षण करें तथा वांछित रिकार्ड की नियमानुसार प्रतिलिपियाँ प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थी के आवेदनों में वांछित रिकार्ड की स्थिति अस्पष्ट होने से प्रतिलिपी मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी निःशुल्क निरीक्षण कर वांछित प्रतिलिपियाँ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्रार्थी उपस्थित नहीं होने से अब तक प्रतिलिपियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। प्रार्थी बाद सूचना भी निरीक्षण एवं प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने हेतु पटवार मण्डल उमरवास में उपस्थित नहीं हुआ है। इस कारण से प्रार्थी की अपील खारिज करने का की कृपा करावें।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, गढबोर की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, गढबोर के पत्रांक सूका अधि0/2020/492-93 दिनांक 15.09.2020 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को वांछित सूचना बाबत सूचित किया गया कि वे कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर वांछित रिकार्ड का निरीक्षण करें तथा वांछित रिकार्ड की नियमानुसार प्रतिलिपियाँ प्राप्त करें। लेकिन प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने से अब तक प्रतिलिपियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

तहसीलदार गढबोर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांत बी0पी0एल0 श्रेणी का होने से उनके आर0टी0आई0 आवेदन में चाही गयी सूचना जो पटवार मण्डल उमरवास तहसील गढबोर के अभिलेख पर उपलब्ध हो वह प्रार्थी को अभिलेख का अवलोकन करा बाद अवलोकन चाही गयी सूचना प्रमाणितशुदा जो हितबद्ध की है वह वांछित सूचना निःशुल्क नियमानुसार उपलब्ध करावें। साथ ही प्रार्थी अपीलांत को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्ति के सात दिवस में पटवार मण्डल उमरवास में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अभिलेख का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करें।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, गढबोर व पटवारी हल्का उमरवास को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ़तर हो।


लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

